

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/5617

दिनांक - 30.06.25

प्रार्थीगण बनाम

अप्रार्थीगण

1 चेतनराम 2
छगनाराम 3 चुतराराम
4 अमराराम पिसरान
चान्दाराम उर्फ
चन्दनाराम जाति
कुम्हार (प्रजापति)
निवासी बोधिया हाल
बाड़मेर मगरा तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।


1 चैनसिंह 2 सुरेन्द्रसिंह पिसरान जालमसिंह 3 उत्तमसिंह पुत्र हीरसिंह 4
गणपतसिंह पुत्र सवाईसिंह 5 गोरधनसिंह 6 भाखरसिंह पिसरान हीरसिंह
7 मानसिंह भाटी पुत्र उदयसिंह 8 राणसिंह 9 शैतानसिंह पिसरान
सवाईसिंह 10 अन्तरकंवर पत्नि सवाईसिंह जातियान राजपुत निवासीयान
बाड़मेर मगरा तहसील व जिला बाड़मेर 11 अणदूकवर पत्नि पपूसिंह
जाति राजपुत निवासी रामदेव नगर भेड तहसील ओसिया जिला जोधपुर
12 उत्तमाराम पुत्र करनाराम जाति कुम्हार निवासी गूंगा तहसील शिव
जिला बाड़मेर 13 देराराम पुत्र भगाराम जाति कुम्हार निवासी इन्द्रा
कांलोनी बाड़मेर 14 मोहनलाल पुत्र लालाराम 15 विक्रम पुत्र लालाराम
16 पांचीदेवी पत्नि लालाराम जाति माली निवासी बाड़मेर मगरा 17
चनणीदेवी पत्नि भारथाराम जाति कुम्हार निवासी रोहिली तहसील
बाड़मेर ग्रामीण 18 मनोज कुमार 19 ललित कुमार 20 संजय कुमार 21
हेमन्त कुमार पिसरान भीखालाल 22 श्रीमती जानकीदेवी पत्नि भीखालाल
जातियान जोशी निवासी बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर 23 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 722/2024

दिनांक- 25/06/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर मगरा पटवार क्षेत्र बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3921/2375 रकबा 0.7285 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है।
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए
एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग
द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण
द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,

उप खण्ड अधिकारी


बाड़मेर

दिनांक- 30-06-25

क्रमांक :- रीडर/2025/5618-21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण चेतनराम पुत्र चान्दाराम उर्फ चन्दनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बोधिया हाल
बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण चैनसिंह पुत्र जालमसिंह वगैराह जातियान राजपुत निवासीयान बाड़मेर मगरा तहसील व
जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर
बाड़मेर